

(62)



समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्रमांक

12016

निगा - 32/19/बालाघाट/

शु.प्र.

- आवेदक गण : १. बी. जी. बाई, पति स्व. हुकुमचंद मात्रे,
निवासी वार्ड नं ६, बैहर चौकी बालाघाट,
तहसील व् जिला बालाघाट म.प्र.
२. कन्हैया, पिता मानक बाहेश्वर, निवासी वार्ड नं
६, पत्थर गली बालाघाट, तहसील व जिला
बालाघाट म.प्र.

विरुद्ध

- अनावेदक गण : १. सुरेश पांचे, पिता स्व. श्री शिवभगत, जाती
मरार
२. आनंद पांचेपिता स्व. श्री शिवभगत, जाती
मरार
३. संजय पांचे, पिता स्व. श्री शिवभगत, जाती
मरार

(सभी निवासी वार्ड नं ६, पत्थर गली,
बालाघाट, तहसील व् जिला बालाघाट म.प्र.)

निगरानी प्रकरण अंतर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९

उपरोक्त निगरानी, आवेदक गण द्वारा निम्न न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त-महोदय,
जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक ०३८७/अपील/२०१६-१७
में पारित आदेश दिनांक ०१-१०-२०१८ से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों
पर प्रस्तुत कि जा रही है।

प्रकरण के तथ्य



10



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग अ

2019/11/19
आदेश नम्बर

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक:निगरानी-0032/2019/बालाघाट/भू-रा.....
तहसील:
जिला:बालाघाट....
पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का प्रकरण :
आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक:387/अपील/2016-17,
कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक:
अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण क्रमांक :49/अ-6/2015-16,....
तहसील का प्रकरण क्रमांक:
यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो :
वाद का विषय:निगरानी....
अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है :म.प्र.भू.रा.संहिता.....

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
29/11/19	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला...बालाघाट.... ।के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...01/10/2018... के विरुद्ध ...बी०जी०बाई,कन्हैया...।...सुरेश,आनंद,संजय...।...ए०पी०सिंह,... के अभिभाषक द्वारा निगरानी - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।</p> <p>प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांकहै। जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।</p> <p>आवेदक अर्थात् श्री विनीता श्रीवास्तव उपरिपरि/उनके पति सुरेश कुमार श्रीवास्तव के समक्ष आयालय में प्रस्तुत किये गये मसदावाक्य का प्रथम ही मांग में सुरेश जी का किया गया है। मसदावाक्य का प्रथम कलेक्टर को आदेश दिया जाते है। सुरेश समाप्त किया गया है।</p>	<p>28/11/19</p> <p>अर्थात् सुरेश कुमार श्रीवास्तव के समक्ष आयालय में प्रस्तुत किये गये मसदावाक्य का प्रथम ही मांग में सुरेश जी का किया गया है। मसदावाक्य का प्रथम कलेक्टर को आदेश दिया जाते है। सुरेश समाप्त किया गया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p>

11

अर्थात् सुरेश कुमार श्रीवास्तव के समक्ष आयालय में प्रस्तुत किये गये मसदावाक्य का प्रथम ही मांग में सुरेश जी का किया गया है। मसदावाक्य का प्रथम कलेक्टर को आदेश दिया जाते है। सुरेश समाप्त किया गया है।